	तुलसीराम बनाम अजन्ता मार्बल आदि प्रकरण संख्या 37/2011 ई.दी.	
	05.03.2020 :– वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री अतुल पालीवाल उपस्थित। प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री गणपत कोठारी उपस्थित। वादीगण की ओर से दिनांक 11.12.2019 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 65ए भारतीय साक्ष्य अधिनियम बाबत् दस्तावेज तलब किये जाने इस आशय का पेश किया कि प्रतिवादी द्वारा वादग्रस्त जायदाद का कब्जा सुपुर्द किया गया एवं काफी समय तक फैक्ट्री का संचालन किया गया तथा उक्त कंपनी प्राईवेट लिमिटेड फर्म होकर रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनी से पंजीकृत होने से उसको विधि अनुसार प्रत्येक लेन–देन, आय–व्यय सभी का ब्यौरा रखना आवश्यक है। वादी स्वयं ने उक्त कंपनी (फैक्ट्री) का संचालन दिनांक 20.06.2010 से 10.06.2011 तक किया जिसके तमाम दस्तावेज एवं संधारण की जाने वाली कंपनी की खाता बही, रोकड़ बही, स्टोर बुक, आवक–जावक बुक, कार्य करने वालों की उपस्थिति पंजिका आदि को प्रतिवादी से तलब करवाया जाना आवश्यक है। उक्त सभी दस्तावेज वादग्रस्त कंपनी के करजिया घाटी स्थित फैक्ट्री के कार्यालय में होकर वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के कब्जे, आधिपत्य में हैं। वादी द्वारा प्रतिवादी को अलग अलग समय पर कई बार रुपये अदा किये उन सभी का इंद्राज प्रतिवादी ने अपनी रोकड़ बही एवं खाता बही में किया, साथ ही प्रतिवादी स्वयं आयकर रिटर्न भरता है जिसे तमाम आय–व्यय का ब्यौरा हर वर्ष देना होता है। इसी प्रकार प्रतिवादी राकेश कुमार तातेड़ का व्यक्तिगत रोकड़ बही एवं खाता बही जिसमें कंपनी के अलावा उनका स्वयं का हिसाब –किताब रहता है जिसमें वादी द्वारा जो विक्रय मूल्य की तय राशि में से जो जो राशि जिस जिस दिनांक को अदा की गई उसका इंद्राज प्रतिवादी की रोकड़ बही एवं खाता बही में है जो प्रतिवादी के कब्जे में हैं। उक्त दस्तावेज की वाद में न्यायालय के समक्ष वास्तविकता एवं सत्यता लाने हेतु बहुत आवश्यकता है। अतः दिनांक 10.06.2010 से 10.06.2011 तक की अजन्ता मार्बल कंपनी एवं राकेश तातेड़ के द्वारा प्रस्तुत आयकर रिटर्न, बैलेन्सशीट, खाता बही, रोकड़ बही तमाम हिसाब के दस्तावेज को प्रतिवादी से तलब किये जाने का आदेश करावें। प्रतिवादीगण की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार किया एवं यह भी कथन किया	

कि प्रतिवादी द्वारा कोई कब्जा वादी को सुपुर्द नहीं किया तथा प्रतिवादी के आधिपत्य में 20.06.2010 से 10.06.2011 तक के कोई रोकड़ बही एवं किसी प्रकार के दस्तावेज नहीं हैं। वादी ने अलग अलग समय में रुपये चुकाने का जो अभिवचन किया है, उक्त तथ्य को साबित करने का भार प्रतिवादी पर नहीं डाला जा सकता है तथा वादी अपनी रोकड बुक तथा आयकर के रिटर्न, बैंक खाता का विवरण आदि पेश कर न्यायालय के समक्ष साबित कर सकता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र पर बहस के दौरान उभयपक्ष के अधिवक्तागण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र व जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया।

उभय पक्षकारान के तर्कों को सुना। विद्वान अधिवक्ता वादी की ओर से प्रार्थना–पत्र धारा 65 ए साक्ष्य अधिनियम में प्रस्तुत किया गया है जबकि उक्त धारा में द्वितीयक साक्ष्य के बाबत् प्रक्रिया वर्णित की गई है। चूंकि यह प्रक्रियात्मक त्रुटि है इसलिए उक्त धारा 65 ए के संदर्भ में वर्णन नहीं कर प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों के संदर्भ में ही विवेचन किया जाना न्योयोचित है। इस प्रार्थना–पत्र में वादी के द्वारा उक्त कम्पनी(फैक्ट्री) का संचालन दिनांक 20.06.2010 से दिनांक 10.06.2011 तक किया जाना बताया गया है और उक्त अवधि की संधारण की जाने वाली पुस्तक–बही, खाता–बही, कम्पनी की बैंक का खाता, आवक–जावक रजिस्टर उक्त समयावधि के कम्पनी के हिसाब–किताब व दस्तावेज के साथ–साथ प्रतिवादी राकेश तातेड़ का व्यक्तिगत रोकड़–बही एवं खाता–बही तथा वित्तीय वर्ष मार्च से मार्च तक हिसाब व दस्तावेज को इस प्रार्थना–पत्र से तलब किया गया है जिसके संदर्भ में विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी/प्रतिवादी ने उल्लेख किया कि उक्त रोकड़–बही व दस्तावेज उनके आधिपत्य में नहीं है, वादी का वर्डन प्रतिवादी पर नहीं डाला जा सकता। अपने इस जवाब के समर्थन में प्रतिवादी के द्वारा शपथ–पत्र भी प्रस्तुत किया गया है जबकि प्रार्थी/ वादी की ओर से अपने प्रार्थना–पत्र के समर्थन में कोई शपथ–पत्र पेश नहीं किया गया है। वादी को अपना वाद स्वयं साबित करना है, ऐसी स्थिति में जबकि प्रतिवादी की ओर से सशपथ यह स्वीकार किया गया है कि उसके पास ऐसे कोई दस्तावेज खाता–बही नहीं है, को प्रस्तुत करने के लिए प्रतिवादी को बाध्य नहीं किया जा सकता। अतः प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है।

पत्रावली साक्ष्य वादी में दिनांक 08.04.2020 को पेश हो।